फा.सं. 4-181/2017-18/रा.म.आ.

राष्ट्रीय महिला आयोग

***

भूखंड सं. 21, जसोला संस्थानिक क्षेत्र
नई दिल्ली-110025,
तारीख: 13 दिसंबर, 2017

विषय: आयोग की 179वीं बैठक के कार्यवृत्त - के संबंध में

तारीख 23 नवंबर, 2017 को 11.00 बजे पूर्वाह्न में आयोग के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 179वीं बैठक का कार्यवृत्त जानकारी और आवश्यक कार्रवाई के लिए संलग्न हैं।

2. यह अनुरोध है कि यदि उपर्युक्त बैठक में और आयोग के समक्ष रखी गई कार्यसूची मदों के संबंध में किए गए विनिश्चय के आधार पर कोई कार्रवाई की गई है, यदि कोई हो, तो उसे शीघ्रातिशीघ्र आयोग के समक्ष आगामी बैठक में रखा जाए।

सलंग्न: यथा उपरोक्त

(आर.सी.आहूजा)
अवर सचिव

सेवा में:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव
2. सदस्य (सुषमा साहू) के निजी सचिव
3. सदस्य (आलोक रावत) के निजी सचिव
4. सदस्य-सचिव के निजी सचिव
5. संयुक्त सचिव के निजी सचिव
6. अवर सचिव(आर.सी.)/अवर सचिव(पी.के.)/वेतन और लेखा अधिकारी
7. परामर्शदाता (शिकायत और अन्वेषण)/वरिष्ठ समन्वयक (श्रीमती कंचन खट्टर/श्रीमती लीलाबती)
8. प्रकोष्ठों के सभी प्रमुख/प्रभारी
9. परामर्शदाता (रा.भा.), को इस अनुरोध के साथ कि कार्यवृत्त का अनुवाद प्रस्तुत करें।
10. ज्येष्ठ प्रोग्रामर/प्रशासन लोकल सर्वर में इसे अपलॉड करने के लिए

राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 23 नवंबर, 2017 को 12.00 बजे पूर्वाह्न में आयोग, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 179वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष (प्रभारी)
2. श्री आलोक रावत	सदस्य
3. डा. सतबीर बेदी	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. श्री कुन्दल लाल शर्मा	संयुक्त सचिव
2. श्री आर.सी. आहूजा	अवर सचिव
3. श्री राजेश कुमार आहूजा	वेतन और लेखा अधिकारी
4. सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
5. सुश्री लीलावती	वरिष्ठ समन्वयक(एनई)
6. सुश्री सुमन	समन्वयक (पीपीएमआरसी)
7. श्री अतुल सिन्हा	प्रोग्रामर (आईटी)

आरंभ में सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष और सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

इसके पश्चात् निम्नलिखित कार्यसूची मदों पर विचार-विमर्श किया गया:-

कार्यसूची मद सं. 1:

तारीख 1 नवंबर, 2017 को आयोजित आयोग की 178वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 1 नवबंर, 2017 को आयोजित आयोग की 178वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:

आयोग की 178वीं बैठक की कार्यसूची मद सं.7 के संबंध में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया ।

(कार्रवाई: वेतन और लेखा अधिकारी)

कार्यसूची मद सं. 3:

ड्राइवरों (दैनिक मजदूर) को कार्यमुक्त करने की दशा में अद्यतन प्रगति

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया। इसके आगे यह विनिश्चय किया गया कि यदि न्यायालय में के मामलों को ध्यान में रखते हुए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के माध्यम से विद्यमान 04 ड्राइवरों की कौशल परीक्षा कराने में समय लगेगा इसलिए उनकी दृष्टि शक्ति का परीक्षण कराया जाए।

(कार्रवाई: प्रशासन)

कार्यसूची मद सं. 4:

संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए बैंक प्रत्याभूति बढ़ाया जाना

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया और यह विनिश्चय किया कि संगोष्ठी आयोजित करने वाले संगठनों के भागरूप यदि कोई व्यतिक्रम होता है तब उस दशा में बैंक प्रत्याभूति को तुरन्त भुना लिया जाए ।

(कार्रवाई: पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ और पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 5:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसंधान अध्ययनों के लिए प्रस्तावों की परीक्षा

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया और प्रस्तावों की परीक्षा करने के लिए की गई तुरन्त कार्रवाई के लिए सराहना की।

(कार्रवाई: पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 6:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संगोष्ठी के लिए प्रस्तावों की परीक्षा

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया और प्रस्तावों की परीक्षा करने के लिए की गई तुरन्त कार्रवाई के लिए सराहना की।

(कार्रवाईः पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 7:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अनुसंधान अध्ययन (पूर्वोत्तर) के लिए प्रस्तावों का परीक्षण

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया और प्रस्तावों की परीक्षा करने के लिए की गई तुरन्त कार्रवाई के लिए सराहना की।

(कार्रवाईः पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 8:

वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान संगोष्ठी (पूर्वोत्तर) के लिए प्रस्तावों का परीक्षण

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया और प्रस्तावों की परीक्षा करने के लिए की गई तुरन्त कार्रवाई के लिए सराहना की।

(कार्रवाईः पूर्वोत्तर प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं. 9:

राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय परिसर के अनुरक्षण की बाबत बकाया भुगतान

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया।

(कार्रवाईः प्रशासन)

कार्यसूची मद सं. 10:

''खाड़ी देशों के पुरूषों को 'एकमुश्त सौदे में' बेची जा रही भारतीय बालवधु''

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया और सदस्य (आ.रा.) ने इस पर आयोग को संक्षिप्त वृतान्त दिया।

(कार्रवाईः सी.एंड.आई प्रकोष्ठ)

कार्यसूची मद सं.11

महिलाओं से संबंधित कानूनों पर कानूनी जागरूकता के संबंध में व्यापक राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बाबत वास्तविक दस्तावेजों को प्रस्तुत किए बिना महाविद्यालयों के व्यय की प्रतिपूर्ति करना

आयोग ने स्थिति पर विचार किया और कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(कार्रवाईः विधिक प्रकोष्ठ)

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं.1

कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न पर आई.ई.सी. अभियान

आयोग ने स्थिति पर विचार किया और कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

(कार्रवाईः पीआर प्रकोष्ठ)

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं.2

राष्ट्रीय महिला आयोग को अस्तित्व में आए 25 वर्ष का समारोह

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया और अनुरोध किया कि सदस्य शीघ्रातिशीघ्र सुझाव प्रदान करें।

(कार्रवाईः प्रशासन)

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं.3

कारागार और मनोचिकित्सीय गृहों का निरीक्षण

आयोग ने कार्यसूची टिप्पण में उल्लिखित स्थिति पर विचार किया। आयोग ने यह वांछा की कि शीघ्रतापूर्वक निरीक्षणों के लिए अनुसूची को अंतिम रूप दिया जाए।

(कार्रवाईः विधिक प्रकोष्ठ और पीपीएमआरसी प्रकोष्ठ)

अध्यक्ष को और उनकी ओर से धन्यवाद का प्रस्ताव धारित करके बैठक समाप्त की गई।

(डा. सतबीर बेदी)
सदस्य सचिव, रा.म.आ.

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष, रा.म.आ.